न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 58/2017

RCMS No. 2017/00259

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 कांतिलाल पुत्र फौजमल उर्फ फौजाराम जाति लौहार निवासी बेडा तहसील बाली		1. ग्राम पंचायत बेड़ा, पंचायत समिति बाली जिला पाली 2. कांतिलाल पुत्र घीसूलाल जाति लौहार निवासी बेड़ा तहसील पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बेड़ा द्वारा मिसल संख्या 94/2012–2013, संकल्प संख्या 11 दिनांक 11.12.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 87 दिनांक 19.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में वर्ष 1998 से वाद लम्बित है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वाद विचाराधीन होने के बावजूद भी बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में उम्मेदमल पुत्र भगवानजी द्वारा पट्टा संख्या 26 मिसल संख्या 65/70–71 जारी करवाया था, जिसमें पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में प्लॉट संख्या 19 (वजाराम) तथा दक्षिण में प्लॉट संख्या 17 दर्शित करते हुए फर्जी तरीके से जारी करवाया था। उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी के पिता फौजमल द्वारा उक्त उम्मेदमल के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायालय (व0ख0) बाली में वाद प्रस्तुत किया, जो दिनांक 31.01.2008 को निर्णीत हुआ, जिसके विरूद्ध अपील संख्या 18/2008 अपर जिला न्यायालय बाली में चला, जिसमें दिनांक 17.03.2017 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के पिता घीसूलाल पुत्र लसाजी लौहार द्वारा दिनांक 01.03.2006 को डी0डब्लयू0 2 के रूप में परीक्षित होकर उम्मेदमल का प्लॉट बताते हुए इस पर नींवे बनाने की सशपथ साक्ष्य दी एवं उसकी भूमि के सम्बन्ध में उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 ने

अति० जिला कलेक्टर, पाली

मिलावट पूर्वक कार्यवाही करते हुए पंचायत से जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया। तथाकथित फर्जी पट्टा संख्या 26 उम्मेदमल के नाम से अस्तित्व में रहते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जबकि बिना निर्माण के नियम 157 (ख) के तहत कोई पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की मिसल में भी कांटछांट स्पष्ट रूप से दर्शित है, जो पूर्व में अंकित नामों को मिटाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 का नाम अंकित किया जाना प्रमाणित करता है। आवेदन पत्र में वांछित भूमि के पडौस अलग दर्ज है तथा जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें वांछित भूमि के पडौस अलग दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गा है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत की मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत बेड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्वयं के मकान/भूखण्ड का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया तथा वांछित भूमि के पड़ौस इस प्रकार बताए – पूर्व में गली (रास्ता), पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में वजाराम पुत्र दलाजी सुहारा एवं दक्षिण में फौजाराम पुत्र दीपाजी लुहार। प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा जो नक्शा मौका तैयार किया, उसमें प्रस्तावित भूमि के जो पडौस दर्ज किए गए, वे इस प्रकार है – पूर्व में दरवाजा व आम रास्ता, पश्चिम में निकासी एवं आम रास्ता, उत्तर में गोविन्द कुमार पुत्र घीसूलाल लुहार एवं दक्षिण में प्रभूचन्द पुत्र फौजाजी लुहार। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वांछित भूमि एवं ग्राम सेवक द्वारा निरीक्षण की गई भूमि के पडौस में भिन्नता है। इसी प्रकार जिस भूमि का मौका निरीक्षण वार्ड पंचों द्वारा किया गया, उसमें और अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दर्शित पडौस की भूमि में भी स्पष्टतया भिन्नता प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त मिसल एवं बैठक कार्यवाही विवरण का मिलान किया जाने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि मिसल में दिनांक 05.02.2013 में पारित आदेश की पालना में नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किया जाना अंकित है, जबकि बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.02.2013 को न तो इस मिसल का इन्द्राज है तथा न ही किसी प्रकार की पत्रावलियों में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। इस प्रकार बिना कोरम में प्रस्ताव लिए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

अब प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या जैर निगरानी पट्टे की भूमि का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, इस कारण जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी है ? तथा क्या जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना कब्जा है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय अपर जिला न्यायालय बाली द्वारा सिविल अपील डिक्री संख्या 18/2008 फौजमल के का0मु0 अंशीदेवी बनाम उम्मेदमल के का0मु0 सुरेश कुमार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2017 के विवाद्यक संख्या 4 में यह अंकित किया गया है कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक को मात्र पट्टा जारी किये जाने के आधार पर प्रतिवादी उम्मेदमल के पक्ष में निर्णित किया है" उक्त पट्टे की प्रति

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पत्रावली पर प्रदर्श–7 के रूप में प्रस्तुत की गई, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है, उप सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है।'' उक्त विवाद्यक को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किये जाने को माननीय अपर जिला न्यायालय द्वारा अपर्याप्त माना है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, प्रकरण में उक्त पट्टे की वैधता पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 2 के पिता घीसूलाल पुत्र लसाजी जाति लुहार द्वारा माननीय सिविल न्यायालय (वरिष्ठ खण्ड) में विचाराधीन प्रकरण संख्या 93/1998 फौजमल बनाम उम्मेदमल में दिनांक 01.03.2006 को मुख्य परीक्षण में सशपथ बयान दर्ज करवाए, जिसमें उक्त पट्टे की भूमि को उम्मेदमल की होना जाहिर किया। जब भूमि तथाकथित रूप से उम्मेदमल की थी, तो उस पर 20–25 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 2 काबिज होना मानते हुए पट्टा जारी किया जाना किसी भी रूप में विधि सम्मत नहीं था। तद्नुसार ग्राम पंचायत बेड़ा द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बेड़ा द्वारा मिसल संख्या 94/2012–2013, संकल्प संख्या 11 दिनांक 11.12.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 87 दिनांक 19.02.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली